खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई): (क) और (ख) खाद्य तथा कृषि संगठन से प्राप्त नवीनतम स्थिति के अनुसार ब्राजील और चीन के बाद भारत फल और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।

(ग) और (घ) जल्दी खराब होने वाले और इस्तेमाल न किए जाने वाले फलों का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। लेकिन अनुमान है कि फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं की कमी और उत्पाद के जल्दी खराब होने के कारण कुछ फल और सब्जियों में लगभग 25–30 प्रतिशत गुणवत्ता और मूल्य में कमी आती है। घरों में पर्याप्त मात्रा में फलों का इस्तेमाल करने और असंगठित क्षेत्र में उनके परिक्षण आदि के कारण, इस्तेमाल न किये जाने वाली मात्रा 5% से अधिक नहीं है। फल और सब्जियों के लगभग 104 मिलियन टन कुल उत्पादन में से लगभग 4,78,000 टन का निर्यात ताजे रूप में किया जाता है, लगभग 13.9 लाख टन का वाणिज्यिक रूप से प्रसंस्करण किया जाता है और लगभग 98 मिलियन टन का उपयोग देश में ही ताजे रूप में किया जाता है। प्रसंस्कृत फल और सब्जी उत्पादों के वाणिज्यिक उत्पादन का लगभग 20% निर्यात किया जाता है और शेष मात्रा की खपत घरेलू स्तर पर की जाती है।

फलों और सब्जियों की स्थापित क्षमता एवं उपयोग

448. **श्री राम जेठमलानी :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में फलों और सब्जियों के संबंध में स्थापित क्षमता का अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1994 तक देश में फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण की कुल स्थापित क्षमता कितनी थी ;

(ग) देश में फलों और सब्जियों का कुल औसत वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि देश में प्रसंस्करण के लिए स्थापित औद्योगिक क्षमता का भरपूर उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण हेतु स्थापित क्षमता का कितना प्रतिशत वार्षिक उपयोग होता है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) (क) से (ङ) दिसम्बर, 1994 में किए गए मूल्यांकन के अनुसार तले और धूप में सुखाए गए उत्पादों को छोड़कर वाणिज्यिक रूप से उत्पादित फलों और सब्जी उत्पादों की कुल अनुमानित स्थापित क्षमता 14.02 लाख मी० टन थी जो लगभग 29 लाख मी० टन फल और सब्जी प्रसंस्करण करने की क्षमता के अनुरूप है। वर्ष 1994 के दौरान इन यूनिटों ने 6.76 लाख मी. टन उत्पादन किया जिसके लिए 13.9 लाख मी टन फल और सब्जी का इस्तेमाल किया गया। इस प्रकार क्षमता का लगभग 48% उपयोग हुआ। उपलब्ध सूचना के अनुसार 1992–93 के दौरान देश में फलों का 328.9 लाख टन और सब्जियों का 715.7 लाख टन कुल वार्षिक उत्पादन हुआ।

Food Processing without licence

449. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) the details of items allowed for food processing without licence;

(b) which items are yet to be allowed tor processing without licence;

(c) the reasons for not allowing them for processing so far in the liberalised economy; and

(d) by when, the restrictions on them will be removed?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TURAN GOGOI): (a) to (d) As per the new Industrial Policy of July, 1991 most of the food processing industries have been granted high priority status and have been delicensed except the brewing and distillation of alcoholic drinks and those reserved for small scale industries.

As per the provisions contained in the Rice Milling Industry (Regulation) Act,. 1958 and Rules 19S9, licence is required for carrying out rice milling operations. The concerned State Governments are empowered to issue licences under Rice Milling Industry (Regulation) Act, 1959. However, the proposal for repealing the Rice Million Industry (Regulation) Act, 1958 and Rules is under consideration of the Government.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की यात्राएं

450. श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाल ही में देश के विभिन्न स्थानों की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन यात्राओं के दौरान आयोग के अध्यक्ष को कुल कितनी याचिकाएं/ज्ञापन राज्यवार प्राप्त हुए तथा प्राप्त याचिकाओं/ज्ञापनों के स्वरूप का ब्यौरा क्या है ;

(घ) इन यात्राओं के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ङ) इन यात्राओं पर अभी तक कितनी धनराशि खर्च हुई है ;

(च) क्या आयोग निकट भविष्य में कोई ऐसी यात्रा करने का विचार रखता है ; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान् । राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मार्च, 1994 से, आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश मेघालय, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों का दौरा किया।

(ग) आयोग को, अपने दौरों के दौरान निम्नलिखित याचिकाएं ज्ञापन प्राप्त हुए :—

(1) आन्ध्र प्रदेश	1400
(2) असम	10
(3) बिहार	86
(4) मध्य प्रदेश	92
(5) मेघालय	शून्य
(6) पंजाब	171
(7) जम्मू और कश्मीर	46
(8) तमिलनाडु	198

ये याचिकाएं/ज्ञापन हिरासत में मृत्यु, लापता, पुलिस द्वारा सम्पत्ति पर गैर-कानूनी कब्जा, वारंट के बगैर गिरफ्तारी नजरबन्दी सहित मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप से संबंधित हैं, इसके अतिरिक्त ये सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी याचिकायें, भूमि विवाद इत्यादि से भी संबंधित हैं ।

(घ) आयोग ने अभी तक तीन राज्यों नामत: असम, मेघालय और पंजाब के बारे में रिपोर्टें दी हैं ।

(ङ) ऊपर उल्लिखित राज्यों में पूरे आयोग के दौरों पर अभी तक आयोग ने लगभग 3.50 लाख रु० की राशि खर्च की है ।

(च) और (छ) जी हां, श्रीमान् । राज्यों का दौरा करना आयोग के कार्यक्रम का हिस्सा है ताकि जब कभी आवश्यक हो, वह मानव अधिकारों की स्थिति से परिचित हो सके ।